

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०
जबाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभागः

विषयः- भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, लखनऊ के सुदृढीकरण/परिवर्द्धन हेतु मूल्यांकित प्रायोजना $\text{₹ } 130.93$ लाख के सापेक्ष $\text{₹ } 60.00$ लाख की द्वितीय किट्ट की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2644/चार-2011-20(बजट)/2009, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010, द्वारा भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, लखनऊ के सुदृढीकरण/परिवर्द्धन हेतु मूल्यांकित प्रायोजना $\text{₹ } 130.93$ लाख की प्रशासकीय अनुमति तथा प्रथम किट्ट की रूप में $\text{₹ } 60.00$ लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष में कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-1007/बी०एम०आई० डी०य०-५(1)/२०१०, दिनांक 11 फरवरी, २०११ तथा परियोजना प्रबन्धक, इकर्ड-26, सी०ए०ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम पत्र संख्या-५३/डब्लू-२/१२, दिनांक ८ फरवरी, २०११ के संबंध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के सुदृढीकरण/परिवर्द्धन संबंधी कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु मूल्यांकित आगणन $\text{₹ } 130.93$ लाख के सापेक्ष द्वितीय किट्ट के रूप में $\text{₹ } 60.00$ लाख (६० साठ लाख मात्र) की घनराशि की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त घनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत घनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार परियोजना प्रबन्धक, सी० ए०ड डी०एस०.३०प्र० जल निगम, इकर्ड-26 को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, जो अनुमोदित आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य की मात्राओं हेतु व्यव करेंगे।

3- परियोजना के संबंध में शासनादेश संख्या-2644/चार-2011-20(बजट)/2009, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 में उल्लिखित शर्तों व उपबन्ध व्यावर्त लागू होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यव द्यातृ वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत “लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, चेतना, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यव-०४-कला तथा संस्कृति-आयोजनागत-८००- अन्य व्यव-२०-भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण/परिवर्द्धन-४८-पूंजीगत व्यव के लिये सहायक अनुदान” के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अध्या० संख्या I-7-219/दस-2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या- 520(1)/चार-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- प्रधान मंत्रालेखाकारी, (लेखा व लक्षणी) प्रधान, उ०प्र० इलाकाकावाद।
- 2- कुलपति, भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, कैसरबाग, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० एवं भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 4- कोषागार, जबाहर भवन, लखनऊ।
- 5- कुल सचिव, भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय, कैसरबाग, लखनऊ।
- 6- वित्त व्यव नियंत्रण अनुभाग-७/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/नियोजन अनुभाग-४
- 7- निदेशक, सी०ए०ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 8- परियोजना प्रबन्धक, सी० ए०ड डी०एस० इकर्ड-26, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 9- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०, जबाहर भवन, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आमा० से,

८२

(धीरेन्द्र प्रताप सेंह)

अनु संथित

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
मध्य
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,३८९०
लखनऊ भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभाग:

दिनांक 28 फरवरी, 2011
दिव्य- जनपद बलिया के भौजा-नेहता सिवान कला, तह-०-सिकन्दरपुर में खुला मंच (प्रेक्षागृह) निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के मानकीकृत आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

मर्योदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-२०४३/डी०प्ल०आरप्स०१०/१०, दिनांक 16 फरवरी, 2011 तथा राजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संस्कृति विभाग, वाराणसी के पत्र संख्या-२८९/प्रेक्षागृह बलिया/ 2010, दिनांक 26 फरवरी, 2011 के क्रम में मुझे यह बताया कि निदेश हुआ है कि श्री राज्याल महोदय प्रदेश ने तहसील खेत्रों में खुला मंच निर्माण हेतु व्यय वित्त संविति द्वारा अनुमोदित/पूर्वानुमित आगणन ₹० २६.९१ लाख (रुपये छहवीं लाख इक्ष्यानन्दे छवार मात्र) की घनराशि से खुला मंच निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जनपद बलिया के भौजा नेहता सिवान कला, परगना-सिकन्दरपुर पुर्वी, तह-०-सिकन्दरपुर में बाटा संख्या-१५१४/०.१५ हेक्टेअर भूमि मान्यवर काशीराम साहब श्री मुद्रशंखराम रमावती देवी बलिका इन्टर कालेज सिवानकला द्वारा शासन के पत्र में निःशुल्क रजिस्ट्री की गयी है, इसी भूमि पर एक खुला मंच निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथम किश्त के रूप में ₹० २५,००,०००.०० (रुपये पचास लाख मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त घनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

२- उक्त स्वीकृत घनराशि को राजकोष से वित्तीय हस्तानुसिस्तम में निहित नियमों के अन्तर्गत आदिति कर जिलाधिकारी, बलिया को उपलब्ध करायी जायेगी जो कार्यदायी संस्था- अधिकारी/ अभियन्ता, प्रान्तीय छान्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया को उक्त निर्माण कार्य हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण रूप से के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था संलग्न अनुमोदित आगणन की माजाओं के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु व्यय करें। खुला मंच निर्माण हेतु स्वीकृत घनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह राजस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, संस्कृति विभाग, वाराणसी ३०४० के माध्यम से संस्कृति विभाग, ३०५० वासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

३- खुला मंच (प्रेक्षागृह) निर्माण हेतु भूमि राजस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति संस्कृति विभाग, वाराणसी द्वारा अधिकारी/ अभियन्ता, प्रान्तीय छान्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया को हस्तानुसिस्तम करायी जाएगी। खुला मंच (प्रेक्षागृह) के संचालन/रख-रखाव के लिये शासनादेश संख्या-७१८/चार-०९-४३ (बजट)/ 2007, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-७ में उल्लिखित गठित संविति के माध्यम से व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उसापर आने वाला अनावर्तीक/आवर्तीक व्यय का भार राजकोष पर नहीं पड़ेगा।

४- उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयवधि सारणी बनाकर दिनांक 30 जून, 2011 तक समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

५- उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिवर्त्य के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किये जाये और न ही कोई वित्तीय वादा किया जाये जब तक कि स्वीकृत आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

६- उक्त प्रोजेक्ट पर व्यय स्वीकृत आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी भी दशा में अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निर्माण के उपरान्त स्वीकृत घनराशि में से कोई घनराशि बच जाती है या निर्माण संबंधी किसी मद से बचत हो तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा तथा कर्व समाप्ति के पश्चात् प्रयोग महालेखाकार, ३०५०, इताहायाद्वारा सम्पर्कित लेख शासन को उपलब्ध कराये जायेगा।

७- उपर्युक्त पर ढोने वाला व्यय प्रेक्षागृह/खुला मंच निर्माण की बालू योजनानामंत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यवक में अनुदान संख्या-९२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ४२०२-शिला, खेलकूट कला तथा संस्कृति पर मृजीगत परिव्यव-०४ कला तथा संस्कृत-आयोजनागत-८००-अन्य व्यव-०३-प्रेक्षागृह/ खुला मंच का निर्माण-२४-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

मध्यीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
संविति।

संख्या-614[1] चार-2011 तयुदिनांक।

प्रतीलिपि निन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्शक वार्षिकी हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, /लेखापरीका (प्रथम) ३०५० इत्ताहावाद।
- 2- निलाधिकारी, बलिया
- 3- विल निवंत्रक, संस्कृति निदेशालय, ३०५० लखनऊ।
- 4- कोषगार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुगवशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, संस्कृति विभाग, वाराणसी।
- 6- विल व्यव नियंत्रण अनुभाग-7/ विल (आव-व्यवक) अनुभाग-१/नियोजन अनुभाग-४
- 7- मुख्य अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, बलिया परिक्षेत्र, आजमगढ़।
- 8- अधिशासी अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया को इस निर्देश के साथ कि खुलामच निर्माण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संस्कृति विभाग, वाराणसी से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर ताकाल कार्य प्रारम्भ किया जाए तथा कार्य की मौतिक प्रगति से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।
- 9- वेच अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, ३०५०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- गाड़ फाइल/समायोजन सहायक।

अब्बा से,

(बीरन्द्र प्रताप सिंह)

अनु संविध
मा

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

विषय:- “सन्त रविवास कला सम्मान” पुरस्कार समारोह के आयोजन हेतु आय-व्यय के आयोजनागत पक्ष में प्राविधिक धनराशि ₹ 6.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति

लखनऊः दिनांक २० फरवरी, 2011

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-198/स०नि०-15(28)/2009-10, दिनांक 19-04-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “सन्त रविवास कला सम्मान” पुरस्कार तथा पुरस्कार के निमित्त समारोह के आयोजन हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मानक 42-अन्य व्यय में प्राविधिक धनराशि ₹ 6.00 लाख (रु० ६० लाख मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृति धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार नियमानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की जायेगी। धनराशि उसी मदों पर ही व्यय की जाएगी, जिसके लिये स्वीकृति की गयी है, अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृति धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में समर्पित कर दिया जाएगा तथा बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42- अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०संख्या-ई-7-190/दस-2011, दिनांक 23 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पुस्तांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हक्कारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजन अनु-४
- 5/ वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(चीरेन्द्र प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति अनुभाग

विषय:- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में कराये गये अनुरक्षण संबंधी कार्यों की प्रशासनिक एवं व्यय की अनुमति के संबंध में।

लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-1802/स0नि0-25(120) /2006, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 तथा पत्र संख्या-2890/स0नि0-25(120)/2006, दिनांक 21 जनवरी, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह के रख-रखाव हेतु निर्माण इकाई— सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-26, उ0प्र0, जल निगम लखनऊ के माध्यम से 04 अवसर पर कराये गये छिटपुट कार्यों के सम्पादन हेतु ₹ 1,20,710.00 (रु0 एक लाख बीस हजार सात सौ बस मात्र) की घनराशि की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति/व्यय की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए धनराशि परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट-26 उ0प्र0 जलनिगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- संस्कृति निदेशालय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेतर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-29-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-989/चार-10-83(बजट) /06 टीसी-2, दिनांक 06-04-2010 द्वारा निर्गत की जा चुकी है, जो निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर रखी है।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेतर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जाएगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-165/बस-2011, दिनांक 23 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पुष्टांकन संख्या व दिनांक वधोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- प्रथान महालेखाकार(लेखा व हकदारी)प्रथम, /लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
- 5- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आद्या से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)

अनु सचिव

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

विषय:- राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 के मा0 अध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों के भुगतान हेतु अनुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-3085/सं0नि0-7(4)/2007, दिनांक 14-02-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 के मा0 अध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु अकादमी के आयाजनेतर पक्ष के अन्तर्गत मानद मद 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान की मद से ₹ 4.45 लाख (₹० चार लाख पैसालिस हजार मात्र) की धनराशि वहन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त अनुमति मा0 अध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों आदि के लम्बित बिलों भुगतान के निमित्त है। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- धनराशि का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-194/दस-2011, दिनांक 23 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रधम, / इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ✓4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- सचिव, उ0प्र0राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
- 6- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
- 7- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

कैव आधिकारी नं०-८०८२११८५, द११८८५
८०८७७८

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, ३०३०
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभाग:

विषय:- जनपद आजमगढ़ वी तहसील व ग्राम- मेहनगर परगना- बेला दौलताबाद में खुलामंच निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के मानकीकृत आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

लाखनऊ: : दिनांक ।।। फरवरी, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या-1272/डी०एल०आर०सी०/१०, दिनांक 20-03-2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल गहोदय प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुलामंच निर्माण हेतु व्यव वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/मूल्यांकित आगणन रु० 26.91 लाख (सूप्ते उच्चीस लाख इक्याननवे हजार मात्र) की धनराशि से खुलामंच निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जनपद आजमगढ़ वी तहसील व ग्राम- मेहनगर में गाय संख्या-1508/०.100 हेक्टेअर तथा गाया संख्या-1509/०.050 हेक्टेअर अर्थात कुल भूमि 0.150 हेक्टेअर प्रेक्षागृह निर्माण हेतु आरक्षित की गयी है, में एक खुला मंच निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रधम किश्त के रूप में रु० 25,00,000.00 (सूप्ते पच्चीस लाख मात्र) वी सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यव किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से वित्तीय छातापुस्तिका में निहित नियमों के अन्तर्गत आहरित कर जिलाधिकारी, आजमगढ़ को उपलब्ध करायी जो कार्यदारी संख्या- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को उक्त निर्माण कार्य हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यदारी रांथा संलग्न अनुमोदित आगणन की मात्राओं के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु व्यव करेंगे। खुला मंच निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/भीतिक प्रगति प्रत्येक माह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुगूल्य कलाकृति फैजाबाद, संस्कृति विभाग, ३०३० के माध्यम से संस्कृति विभाग, ३०३० शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- खुला मंच (प्रेक्षागृह) निर्माण हेतु भूमि जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को उत्तरान्त करायी जाएगी। खुला मंच (प्रेक्षागृह) के संचालन/रख-रखाव के लिये शासनादेश संख्या-718/चार-09-43(बजट)/2007, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित गठित समिति के माध्यम से व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उसपर आने वाला अनुवर्तक/आवर्तक व्यव का भार राजकोष पर नहीं पड़ेगा।

4- उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अंतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्ध सारणी बनाकर दिनांक 30 जून, 2011 तक समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भीतिक प्रगति शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

5- उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यव तब तक न किये जायें और न ही कोई वित्तीय वादा किया जाये जब तक कि स्वीकृत आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त योजना पर व्यव न्यौकृत आगणन की सीधा तक ही किया जायेगा तथा अंतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी भी दशा में अधिक व्यव नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि बच जाती है या निर्माण संबंधी किसी नद से बचत हो तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् प्रथान महालेखाकार, ३०३०, इलाहाबाद द्वारा सम्पर्कित लेखों शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यव प्रेक्षागृह/खुलामंच निर्माण की चालू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शेखा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूर्णीगत परिव्यय-04 कला तथा संस्कृति-आयोजनागत-800-अन्य व्यव-03-प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण-24 बहुत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

४८

मवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या- 276(1)/वार-2011 लदूदिगांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनावे एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व छकदारी) प्रथम,/लेखापरीक्षा (प्रथम) ३०५० इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, आजमगढ़
- 3- बिल्ल नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, ३०५० लखनऊ।
- 4- कोपागर, जबाहर भवन, लखनऊ।
- 5- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, संस्कृति विभाग, फैजाबाद।
- 6- बिल्ल व्यव नियंत्रण अनुभाग-7/ बिल्ल (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
- 7- पुरुष अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ परिषेक, आजमगढ़।
- 8- अधिकारी अधिकारी, प्रान्तीय छाप्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि खुलामंच निर्माण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, भरकृति विभाग, फैजाबाद से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाए तथा कार्य की भौतिक प्रगति से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।
- 9- बेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, ३०५०, जबाहर भवन, लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल/समायोजन सहायक।

आज्ञा से,

(प्रिताम सिंह)

अनु सचिव

३५

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति विभागः

विषयः- रविन्द्रालय, लखनऊ को अनुरक्षण हेतु 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता (आयोजनागत पक्ष) की मद में रु 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-2848/स०नि०-16(46)/१८-२०१०टीसी, दिनांक ०४ करवरी, २०१० के संदर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि कला एवं संस्कृति के सम्बर्धन की योजनान्तर्गत रविन्द्रालय, लखनऊ को अनुरक्षण के लिए आयोजनागत पक्ष में मानक मद-२०-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की मद में प्रावधानित धनराशि रु २०.०० लाख से प्रेक्षागृह की १३७ क्षतिग्रस्त कुर्सियाँ (बी०आ०ई०पी० रो) एवं कल्पीन(कारपेट) को बदलने हेतु रु २०.०० लाख (रु० बीस लाख मात्र) का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

२- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि प्रशासक/प्रबन्धक, रविन्द्रालय, लखनऊ को सी०ए०ड डी०ए०स०, उ०प्र०, जलनिगम इकाई-२६ के संलग्न आगणन में उल्लिखित कार्यों के सम्बादन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

३- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि संलग्न आगणन में उल्लिखित मदों पर व्यय की जायेगी। धनराशि व्यय करने के पूर्व रविन्द्रालय, लखनऊ द्वारा अपनी कार्यकारिणी/अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य की समाप्ति के तत्काल पश्चात् संस्था की कार्यकारिणी/अध्यक्ष से तथापित कराकर निदेशक, संस्कृति निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

४- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चातुर्वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-९२ के अन्तर्गत सुखाशीर्षक २२०५-कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-१०२-कला एवं संस्कृति का सम्बर्धन-०३-रविन्द्रालय, लखनऊ को अनुदान-२०-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की मद के नामे डाला जाएगा।

५- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-७-१६/दस-२०११, दिनांक १८ जनवरी, २०११ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यद्योक्त।

मवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

सचिव

पुष्टांकन संख्या एवं दिनांक वयोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- १- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हक्कारी) प्रधान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- २- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- ३- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ४- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-७/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-१/नियोजन अनुभाग-४
- ६- परियोजना प्रबन्धक, सी० ए०ड डी०ए०स०, उ०प्र०जल निगम, इकाई-२६, लखनऊ।
- ७- प्रशासक कम प्रबन्धक, रविन्द्रालय, चारबाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-२०/२०१०, दिनांक ३ करवरी, २०१० के संदर्भ में।
- ८- वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ९- गार्ड काइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)

ज्ञान सचिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

विषय:-संस्कृति निदेशालय के लिए गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-1578/सं0नि-19स्टोर(बजट)/2006, दिनांक 24 सितंबर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति निदेशालय के आयोजनेतर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रु0 5.00 लाख (रु0 पाँच लाख पाँच) की अतिरिक्त धनराशि संलग्न विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। पूर्व स्वीकृति धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात् ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहां आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेतर-104-अभिलेख-10-जलकर/जल प्रभार में होने वाली वचतों से संकेतित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेतर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मद के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1408(1)/दस-2010, दिनांक 13 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

महोदय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

पुष्टांकन संख्या एवं दिनांक व्यक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, /लेखा परीक्षा, प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
- 5- गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।
- 6- वेष्ट अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, अवाहन भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए अवैदन/स्वीकृति (संटान बाट मेनुआल का प्रस्त॑-158)
 (इस प्रति को भासे से पूर्ण पौछे छ्या अनुदेशों को दर्ती-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम: 92-संस्कृति विभाग

वित्तीय वर्ष 2010-11

प्राप्ति दृ.प्रम. ५५(गण-१)

(धनराशि हलार का १० %)

निम्नलिखित विभिन्नों से प्रस्तावित संकाय			वित्त विभाग द्वारा असे			निम्नलिखित विभिन्नों गे प्रस्तावित संकाय			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिन पर उपलब्ध अनुदान/ विभिन्नों	आवेदन पत्र देने के दिन पर उपलब्ध विभिन्नों	संकायित होनी जाने याली चारणशि	दिवाल विभाग परमानन्द विभिन्नों	संकायित होनी जाने याली चारणशि	वित्तीय वर्ष के प्रस्त॑-158 अवैदन/स्वीकृति विभिन्नों	वित्तीय वर्ष के प्रस्त॑-158 अवैदन/स्वीकृति विभिन्नों	वित्तीय वर्ष के प्रस्त॑-158 अवैदन/स्वीकृति विभिन्नों	वित्त विभाग द्वारा असे उपलब्ध अनुदान/ विभिन्नों	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220500104030010	1530	500	500	500	1030	22050001030015	480	980	500	500	980
चोग	1530	500	500	500	1030	योग	480	980	500	500	980

- (1) अनुदान बचतों— दर्तान विलोक्य वर्ष में संबंधित तेजाशीर्ष की प्रस्तावित गणक पर मैं क्या आवश्यकता होने के कारण।
- (2) अधिक वर्ष का करण उपलब्धताएँ मैं बुझ, मेरोल, झील के मूल्यों में बढ़ि तथा अनुदान सामग्रियों के मूल्यों में बढ़ि होने के कारण।
- (3) प्रमित विभा जाता है कि उपर्युक्त प्राविदिक्षियों ने उत्तर प्रदेश बजार मैनुअल के प्रस्त॑-150 व 151 ने निम्नों प्रतिवर्चनों/वरिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- आर.इ-373 / दृ-7- 1408 / दस-2010, दिनांक 17 जनवरी, 2011

सेवा में,

गहालेखाकार (लेखा एवं इकाई) प्रधम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम (लीरेन्ड प्रधान सिंह) अनु सचिव

पांचवां विभाग

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम (लीरेन्ड प्रधान सिंह) अनु सचिव
पांचवां विभाग

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
लैचित,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति अनुभाग

विषय:- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप देय अवशेष वेतन के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2960/चार-2010-83(बजट)/2006टी०सी०-॥,दिनांक 08 नवम्बर, 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप श्री 40% अनिम अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ₹० 13.12 लाख की मांग के सापेक्ष ₹ 46,000.00 (रु० छियालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्णत की जा चुकी है।

2- उक्त के परिणेत्र में निदेशालय के एत्र संख्या-1872/सं०षि०-१९स्टोर(बजट)/2006, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के देय अवशेष वेतन एरियर के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय संलग्न विवरणानुसार ₹० 12.66 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतीवन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद हेतु ही आहरित की जायेगी, अन्य मदों पर कढापि नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बाजार मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के मुमंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य संसाम प्राधिकारी की, जड़ा आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेता-800-अन्य व्यय-12-अवशेषों का भुगतान-12-वेतन भले आदि के लिये व्यापक अनुदान की मद में उपलब्ध व्यतीतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेता-800-अन्य व्यय-12-अवशेषों का भुगतान-1-वेतन के नामे जाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1458(1)/दस-2010, दिनांक 04 जनवरी, 2011में प्राप्त उनकी सहमति से निर्णत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

संघिव।

पुष्टांकन संख्या व दिनांक व्ययोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रथान महालेखाकार(लेखा व लेखारी)प्रधम, /लेखा परीक्षा, प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- व्यवधिकारी, संस्कृति निदेशालय,उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल/समायोजन संचायक।

आज्ञा से,

वै

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)

अनु संलिप्त

वा

संख्या- 3172/चार-2010- 83(बजट)/2006टीसी-II, दिनांक 13 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय संचियकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
- 6- गार्ड चुक/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

३२
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

માનવ કુલ મંત્રી,

માનવ

પ્રદેશ પ્રાણ

સેક્રેડ

નિર્દેશક

સંસ્કૃતિ નિર્દેશાલય, ૩૦પ્રો.

જવાહર ભવન, લખનऊ।

સંસ્કૃતિ અનુભાગ

વિષય:- ૩૦પ્રોજૈન વિદ્યા શોધ સંસ્થાન કો ૨૦-સહાયક અનુદાન/અંશદાન/ગાજસહાયતા (આયોજનાગત) કી મદ મેં
ગ્રાવથાનિત ધનરાશી કે સાપેક્ષ અવશેષ ધનરાશી કી વિત્તીય સ્વીકૃતિ।

માનવ

ઉપર્યુક્ત વિષય એ શામનાદેશ સંખ્યા-૧૨૫૦/ચાર-૨૦૧૦-૬૨(બજટ)/૦૭, દિનાંક ૧૭મુદ્દ, ૨૦૧૦ હ્યાગ સંસ્થાન
કો ચાલુ વિત્તીય વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ કે આયોજનાગત પદ્ધતિ મેં ગ્રાવથાનિત ધનરાશી કે સાપેક્ષ ૫૦ પ્રાતશત કી વિત્તીય સ્વીકૃતિ
નિર્ગત કી જા દૂઢી હૈ।

૨- ઉપરોક્ત કે ક્રમ મેં નિર્દેશાલય કે એવ સંખ્યા-૧૯૦૩/સંનિ-૦-૨૦ (આડિટ-૧૦૦૧૦)/૦૯-૧૦, દિનાંક
૨૫-૧૦-૨૦૧૦ કે સંદર્ભ મેં મુદ્દે યહ કહેને કા નિર્દેશ હુઅ હૈ કે ૩૦પ્રોજૈન વિદ્યા શોધ સંસ્થાન કે કાર્ય કરાતોં ડેનુ
આયોજનાગત પદ્ધતિ અન્તર્ગત માનક મદ ૨૦-સહાયક અનુદાન/અંશદાન/ગાજસહાયતા કી મદ મેં અવશેષ ધનરાશી
રૂ. ૫.૦૦ લાખ (૫૦ પંચ લાખ માત્ર) કી ધનરાશી કી શ્રી ગાયપાલ મહોદય સહર્ષ સ્વીકૃતિ પ્રદાન કરતે હૈ તથા
સ્વીકૃત ધનરાશી આપને એ રહે જાને કી અનુભાગ પર રહે જાને કી અનુભાગ પ્રદાન કરતે હૈ।

૩- ઉપર્યુક્ત સ્વીકૃત ધનરાશી કો આહારણ એકમુદ્દત નહી કિયા જાએથા બલ્ક આવધયકતાનુસાર નિયમાનુસાર કિયા
જાયાણ। ધનરાશી આડર્ન્યાન કર કિસી બૈંક/પોસ્ટ આર્ફિસ મેં જમા નડી કી જાયેગી। ધનરાશી મર્દો પર હી લ્યા કી
જાયેગી, જિસકે લિયે સ્વીકૃત કી ગઢી હૈ, અચ્છ મર્દો એવ કટાપિ વ્યવ નહી કી જાયેગી। સ્વીકૃત ધનરાશી મેં સે બંદ
ઓહ ધનરાશી અવશેષ બચતી હૈ તો ઉસે તત્કાલ ગાજકોષ મેં સમર્પિત કર દિયા જાયા તથા બજટ મૈનુઅલ ઔર
વિત્તીય ડસ્તાવુસ્તિકા કે સુસંગત નિયમો કે સાથ સાથ વિત્ત (આય-વ્યયક) અનુભાગ-૧ કે કાર્યાલય જ્ઞાપ દિનાંક
૨૬-૩-૨૦૧૦ મેં ડલ્લાખિત નિર્દેશોં કો પૂર્ણતાય અનુપાલન સુનિશ્ચિત કિયા જાયેગા।

૪- ઉપર્યુક્ત સ્વીકૃતિ મેં સંબંધિત વ્યય ચાલુ વિત્તીય વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ કે આય-વ્યયક મેં અનુદાન સંખ્યા-૯૨ કે
અન્તર્ગત લેખાશીશ્વર્ક ૨૨૦૫-કલા એવ સંસ્કૃતિ-આયોજનાગત-૧૦૧- લાલિત કલા શિથા-૧૬- ૩૦પ્રોજૈન વિદ્યા શોધ
મંદ્યાન લખનऊ કો અનુદાન-૨૦-સહાયક અનુદાન/અંશદાન/ગાજસહાયતા કે અન્તર્ગત સુસંગત ઇકાઈઓ કે નામે ડાલા
જાયાણ।

૫- એ આદેશ વિત્ત વિભાગ કે અશાઓસંખ્યા-૬૭-૭-૧૪૦૫/દસ-૨૦૧૦, દિનાંક ૦૪ જન્વારી, ૨૦૧૧ મેં પ્રાપ્ત ઉનકી
મહત્વાન મેં નિર્ગત કર્યે જા રહે હૈ।

ભવદીય,

(અવનીશ કુમાર અધ્યક્ષ)

સંચિત

અધ્યક્ષ ગાયા એવ દિનાંક યથોદ્દે

પ્રતીલાંપિ નિમનલિખિત કો સૂચનાર્થ એવ આવધયક કાર્યવાહી હેતુ પ્રોશિત:-

૧- પ્રથાન મહાલેખાકાર, (લેખા વ હફવારી) પ્રથમ, ઉત્તર પ્રદેશ ડલાલાબાદ।

૨- નિર્દેશક, સ્થાનિય નિયત લેખા પરીક્ષા વિભાગ ૩૦પ્રો, ડલાલાબાદ।

૩- મોષાધિકારી, જવાહર ભવન, લખનऊ।

૪- વિત્ત નિયંત્રક, સંસ્કૃતિ નિર્દેશાલય, ૩૦પ્રો, લખનऊ।

૫- નિર્દેશક, ૩૦પ્રો જૈન વિદ્યા શોધ સંસ્થાન, લખનऊ।

૬- વિત્તા(વ્યા નિયંત્રણ) અનુભાગ-૭/વિત્ત (આય-વ્યયક) અનુભાગ-૧/નિયોજન અનુ-૪

૭- બેદ અધિકારી, સંસ્કૃતિ નિર્દેશાલય, ૩૦પ્રો, જવાહર ભવન, લખનਊ।

૮- ગાડી ફાડલ સર્વોધિત સમીક્ષા અધિકારી।

આજા મે

(થીરેન્ડ પ્રોફેસર સિંહ)

અનુ સંચિત

प्रेषणः

अवनीश कुमार अवगती,
नाचवः
उत्तर प्रदेश शासन ।

पेश मे-

निदेशक
संस्कृत निदेशालय, ३०प्र०.
तवाहन भवन, लखनऊ ।

अस्त्रित अनुभाग

विषयः— उपर्युक्त संस्कृत नाटक अकादमी, लखनऊ को ४३-वेतन भल्ले आदि के लिये आदेश अनुगम अन्वाजनलय का मह में प्रावधानित अनुगम के पार्षद आदेश अनुगम की विलीन स्थीरीय ।

पर्याप्तः

उपर्युक्त विषय पर शासनांश संख्या-५९२, गा ३-२०१०-२०११-४३-८६०/३३० श्री ३३० इडिन, २०१० ईश्वर अनुगम ले वालु विलीन वर्ष २०१०-११ के आदेशक के आयोजनेतर पथ के अन्वाजनलय मानक मट ४३-वेतन भल्ले आदि ४ विद्य संस्कृत अनुगम में प्रावधानित अनुगम के संवेद ५० प्रतिशत की विलीन स्थीरीय प्रति निर्गत थी जो चुकी है ।

१- उपर्युक्त के इष्ट मे मुद्रे यह ग्रहने पा निदेश कुमार वे १०५०संस्कृत नाटक अकादमी, लखनऊ के कार्यक्रम के वेळन मुख्यालय लेनु आयोजनेतर ४३ के अन्वाजनलय मानक मट ४३-वेतन भल्ले आदि के लिये संदेश अनुगम की मट में प्रावधानित अनुगम के साथ संवेद अवगत अनुगम रु० ५९ १५ लाख (रु० उनवाम लाख पन्डह लगाय गया) जो थी गवाहाल मानक मट ४३-विद्य संस्कृत अनुगम करने लाए अनुगम अनुगम निर्वनेम एवं उन्हे जाने की अनुभाव एवनम देनम है ।

२- उपर्युक्त स्वीकृत अनुगम का आहरण एकमुक्त नहीं किया जाएगा वर्त्तक आदेशकनामा विलीन अनुगम अनुगम आजमेल कर रक्षी वेक्षणाम से जमा गही की जायेगी अनुगम उन्हीं मठों पर वी व्यव जी गही रक्षण लिये रक्षीकृत थी रक्षी है अन्य मठों पर रक्षण व्यव नहीं की जायगी । स्थीरीय अनुगम में ने अदि कोह अनुगम अवगत अनुगम है तो उसे लेकाल गत्तेश मे स्मर्तीन लगाया जाएगा ज्या वत्तर भिन्नुअल ओ विलीन उन्नतानुगम रूप व्यवगत नियमों के साथ साथ विलीन आदेशक अनुभाग-१ के आर्यलय जाप दिनोंक २६-३-२०१० मे ग्रिल्लिशन विलीन मा लुप्तमा अनुगम अनुगम अनुगम किया जायेगा ।

३- उपर्युक्त स्वीकृति मे संविधान व्यव वर्ष २०१०-११ के आदेशक पर अनुदान संख्या-५२ के अनुगम लेखानामीक २२०५-कला एवं संस्कृत-आयोजनेतर-१०१-लिलित कला शिक्षण ०३-१०५०संस्कृत नाटक अकादमी लखनऊ की अनुदान-४३-वेतन भल्ले आदि के लिये संदेश अनुगम के अन्वाजनलय इकाईयों के नामे शक्ति अनुगम ५ रक्षण आदेश अनुगम के आशासकीय संख्या-हृ-७-१४०६(१)/दिन-२०१० दिनोंक ०५ जलदरी २०११ प्राप्त अनुगम अनुगम मे निर्गत किये जा रहे हैं ।

प्रकाशित

प्रबन्ध विलीन अनुभाग

मन्त्रिम

पूर्णांकन अनुभाग एवं देशीय विभाग

- १- अनुगम निम्नलिखित एवं भूततारी पर आदेशक कालावदी वेतन संविधान ।
- २- ब्रदा, वडालीखाकाली, लेखक व इकाईयी इथम, उक्त देशी अनुगम अनुगम ।
- ३- साथीय उपर्युक्तीन नाटक अकादमी संस्कृतीनगर, लखनऊ ।
- ४- निदेशक, श्यामीष निर्गत, लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, डलाहालाट ।
- ५- शोषणाधिकारी, तवाहन भवन, लखनऊ ।
- ६- विवेद अधिकारी, संस्कृत निदेशालय, ३०प्र०, लखनऊ ।
- ७- विवेद अधिकारी, अनुभाग-१, विवेद (आदेशक) अनुभाग ।
- ८- वेद आधिकारी, अस्त्रित निदेशालय ३०प्र०, तवाहन भवन, लखनऊ ।
- ९- गाड़ फार्म-संतोषन ममादा आधिकारी ।

साक्षा ज्ञ

विवेद प्रताप (मिठा)

उत्तर गांधी

८५

प्रेषक,

अद्वनीश कुमार अवरथी।

मर्चिव।

उत्तर प्रदेश शामन।

सेवा में।

निदेशक।

मंस्कृति निदेशालय, ३०प्र०।

जवाहर भवन, लखनऊ।

मंस्कृति अनुभाग।

विषय:-उ०प्र००संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को २०-सहायक अनुदान/अंशादान/राजमहायाता (आयोजनागत पक्ष) से अवशेष धनराशि रु० ४५.०० लाख को वित्तीय धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-१३९८/चार-२०१०-६५(बजट)/२००७, दिनांक ३१-०५-२०१० द्वारा अकादमी को घासू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्रावधानित धनराशि के माध्यम ५० प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

२- उपर्युक्त के छठम में निदेशालय के पत्र संख्या-१८९८/सं०नि०-२०(आडिट-य०मी०)/०९-१०, दिनांक २५-१०-२०१० के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ३०प्र००संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के कार्य कलाओं तथा मा० उ०-समाप्ति एवं सदस्यों के मानदेव के सुगतान हेतु आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मानक मद २०-सहायक अनुदान/अंशादान/राजमहायाता की मद में अवशेष धनराशि रु० ४५.०० लाख (रु० ४५०००००० लाख मात्र) की श्री गन्धपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्वीकृत धनराशि आपके निवत्तन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके डैफ़/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कुकारिणि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यहि कार्ड धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य रथाई आवेशों से शासकीय अथवा अन्य मकाम प्राधिकारी की, जहां आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय एवं वित्त विभाग के कार्यालय जाप दिनांक २६-३-२०१० का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मिलव्यायाम सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

४- उपर्युक्त स्वीकृति में मर्वाधन व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-९२ के अन्तर्गत लेखाशीषक २२०५-कला एवं मंस्कृति-आयोजनागत-१०१-लॉलित कला शिक्षा-०१-उ०प्र०० संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान-२०-सहायक अनुदान/अंशादान/राजमहायाता के अन्तर्गत सुसंगत हकाईयों के नामे डाला जायगा।

५- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-८७-७-१४०६/दस-२०१०, दिनांक ०४ जनवरी२०११ में प्राप्त उनकी मदमान से निर्भत किये जा रहे हैं।

(अद्वनीश कुमार अवस्थी)

मर्चिव

पुष्टांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- प्रधान महालेखाकारी, (लेखा व हकदारी) प्रधम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- २- मन्त्रिव, उ०प्र००संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ।
- ३- निदेशक, श्थानीय निधि लेखा परिषदा विभाग, ३०प्र०, इलाहाबाद।
- ४- क्रोधाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ५- वित्त नियन्त्रक, मंस्कृति निदेशालय, ३०प्र०, लखनऊ।
- ६- वित्त(व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-७/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-१/नियोजन अनु-४
- ✓ ७- देव अधिकारी, मंस्कृति निदेशालय, ३०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ८- गाँड़ फाइल/मर्वाधन समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा मे

(धैरेन्द्र प्रताप सिंह)

अनु मर्चिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवरथी।

सचिव,

उत्तर प्रेषण शासन।

मेरो मे.

निटेशक,

संस्कृति निटेशालय, उ०प्र०,

जवाहर भवन, लखनऊ।

मंस्कृति अनुभाग

लखनऊः दिनांक ०५ जनवरी २०११

विषय:- उ०प्र०संगीत नाटक अकादमी लखनऊ को २०-सहायक अनुदान/अंशदान/गजमहायता (आयोजनेतर पक्ष) में प्रावधानित धनराशि रु० ३.०० लाख की वित्तीय धनराशि की स्वीकृति।

मडोटरा,

उपर्युक्त विषय पर शामनादेश संख्या-१३९०१/चार-२०१०-६५(बजट)/२००७, दिनांक ३१ मई, २०१० हाथा अकादमी को चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक के आयोजनेतर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद २०-सहायक अनुदान/अंशदान/गजमहायता की मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष ५० प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

२- उपर्युक्त के ऊम में मुझे यह कहने का निटेश हुआ है कि उ०प्र०संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के व्यवनवल्ल व्ययों के भुगतान हेतु आयोजनेतर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद २०-सहायक अनुदान/अंशदान/गजमहायता की मद में आवश्यक रु० ३.०० लाख (रु० ३०० लाख मात्र) की श्री गव्यपाल मडोटरा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्वीकृत धनराशि आपके निवर्तन पर ज्ञाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरण करके बैंक/बोर्ड आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृति इस प्रतिवन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी। अन्य मदों अवधा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कठार्पि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से सही काई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल गतिकोष में जमा करा दिया जायेगा। यह भी मुनिश्चयन कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तानुसरतका के सुसंगत नियमों अवधा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अवधा अन्य मध्यम प्राधिकारी की, जहां आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सावध में वित्त विभाग के मित्रव्यवास सम्बंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सावध में शामनादेश का भी यातन मुनिश्चयन किया जायेगा।

४- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-९२ के अन्तर्गत लेखानुसारिक २२०५-कला एवं संस्कृति-आयोजनेतर-१०१-ललित कला शिक्षा-०७-उ०प्र०संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान-२०-सहायक अनुदान/अंशदान/गजमहायता के अन्तर्गत सुसंगत डिकोर्डों के नामे ढाला जाएगा।

५- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-७-१४०६(२)/दम-२०१०, दिनांक ०४ जनवरी २०११ में प्राप्त उनका महमात्र से निर्गत किये जा रहे हैं।

मवदीय,

। अवनीश कुमार गव्यपाल।

सचिव

पुष्टांकन मंस्कृति एवं दिनांक योग्यता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मूलनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हेतु प्राप्तिः -

१- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व इकट्ठारी) प्रथम, उत्तर प्रेषण डलाहावाट।

२- सचिव, उ०प्र०संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ।

३- निटेशक, वित्तीय नियंत्रण परीक्षा विभाग, उ०प्र०, डलाहावाट।

४- कार्याधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।

५- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निटेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

६- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-२/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१।

७- वेब अधिकारी, संस्कृति निटेशालय, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।

८- गार्ड फाउल, संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आजा मे.



(धीर्घन्त प्रताप मिश्र)

अनु सचिव।

उन्नीसिंहयोग के लिए जायेदार/सीरिज़ (सत्रः बजट मंड़ाइल का प्रस्तुत-158)

(इस प्राव के भरने से पूर्व और और अनुदेशों के भरों भात देख लेया जाय)

अनुदान संख्या व नामः १२-संस्कृत विभाग

प्रम-बी.०४-।५

वित्तीय वर्ष २०१०-११

प्रम-बी.०४-।५

(पनराइ उन्नर ८० नो)

नियमित विधि से प्रस्तुति संक्षण		वित्त विभाग द्वारा भरा		नियमित विधि से प्रस्तुति संक्षण		वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
नियमित विधि से प्रस्तुति संक्षण	वित्त विभाग द्वारा भरा	नियमित विधि से प्रस्तुति संक्षण	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	नियमित विधि से प्रस्तुति संक्षण	वित्त विभाग द्वारा भरा	नियमित विधि से प्रस्तुति संक्षण	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा
लेखार्थिक (१५ डिजिट कोड में) आयोजनोत्तर भाग/ विनियोग	जावेदन वर्ष देने के लिए पर उपलब्ध बचत	जावेदन पर देने के लिए पर उपलब्ध बचत	संक्षेत्र की वित्त विधान धनराशि	वित्त विधान को देने वाली धनराशि	लेखार्थिक (१५ डिजिट कोड में) आयोजनोत्तर भाग/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यादात धनराशि	वित्त विधान को देने वाली धनराशि
१	२	३	४	५	६	७	८
२२०५०८००१२००४३	८२५८	१२६६	१२६६	६९१	२२०५०८००१२००१	१६४५	१७७१
वीण	८२५९	१२६६	१२६६	६९१	वीण	१६४५	१७७१
(१) उपलब्ध बचते— सभी स्थायतात्मी संसाधारों में अने बेतन आधार की सिफारिशें लागू न होने से वास्तविक वर्ष के कारण (२) गोपिक वर्ष— गत वर्ष की अपेक्षा कम बजट प्रवधन उन्ने के कारण (३) प्रवधन छिक्का जाता है कि उपर्युक्त युनियनेशन ने ऊतर प्रदेश बजट मेंशुल के प्रस्तर-150 व 15। में नियमित प्रतिबन्धों/परिस्थितियों का ऊल्हाधन नहीं डाला है।	लोकाजन-जार.इ.- ३४/२-७- १४५८/वस-२०१०, इनांक ०४ अनवरी,२०१०						
सेवा में, पहलोधाक्षर (लेखा पर उक्तवारी) प्रधान, ऊतर प्रदेश, इलाहाबाद।							
कलालाल नाम व पदनाम (परिचय प्रताय निह) अनु साक्षर संस्कृत विभाग							
८५५							

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या—३९०५/ चार—२०१०
लखनऊ: दिनांक ३० दिसम्बर, २०१०

कार्यालय—आदेश

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों के अनुदान का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र०शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। इनका मोबाइल नं०- 9454411968 एवं कार्यालय दृग्भाषण नं०-0522 -2237047 है।

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग को उनके पत्र संख्या—एफ०सी०-३४३ / दस—२०१०—३० / २०१०, दिनांक २८.१२.२०१० के संदर्भ में।
2. विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र०शासन।
3. श्री गौरव पाठक, वेब अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।